

हाईवे चैनल

□ वर्ष - 29 □ अंक - 165 □ रायपुर, बुधवार 8 जुलाई 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य - 2.50 रुपये • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

9 राज्यों में एनआईए की छापेमारी

नई दिल्ली, 8 जुलाई (न्यूज चैनल)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालय पर बम फेंकने से जुड़े एक मामले में तलाशी अभियान चला रही है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई राज्यों में 20 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में पांच, महाराष्ट्र में तीन और दिल्ली में दो स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी एक-एक स्थान पर छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई आरएसएस कार्यालय पर हुए बम हमले के संबंध में की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव ने छोड़ा मंदिर परिसर, कारसेवक पुरम में शिफ्ट हुए

नई दिल्ली, 8 जुलाई (न्यूज चैनल)। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव ने मंदिर परिसर छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वह 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक के दौरान ही कारसेवक पुरम में शिफ्ट हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि गोपाल राव को ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य के पद से पहले ही हटा दिया गया है। इसके साथ ही उनका कार पास भी सरेडर करा दिया गया है, जिसके बाद मंदिर परिसर में उनकी प्रशासनिक गतिविधियां भी समाप्त हो गई हैं।

मां बगलामुखी मंदिर चढ़ावा विवाद गरमाया, कांग्रेस का हमला; मंत्री बोले- दोषी नहीं बनेंगे

नई दिल्ली, 8 जुलाई (न्यूज चैनल)। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बाद अब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर, नलखेड़ा में दान और चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आने से सियासत गरमा गई है। श्रद्धालुओं के नकद दान, सोने-चांदी के आभूषण और चढ़ावे के हिसाब-किताब में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। समिति को सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, जबकि धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री धर्मद लोधी ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आगर-मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने हाल ही में मां बगलामुखी मंदिर का औचक निरीक्षण किया था।

महादेव ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट से ओमान पहुंचने का आरोप

रायपुर, 8 जुलाई (हाईवे चैनल)। फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने के आरोप में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर को ओमान में गिरफ्तार किया गया है। चंद्राकर पिछले कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सौरभ को भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी

के बाद भारत सरकार चंद्राकर को वापस लाने के लिए ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुटी है। सौरभ को मस्कट स्थित हाई-सिक्योरिटी अल खौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के इस्तेमाल और अवैध तरीके से ओमान में प्रवेश करने का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पैरवी



के लिए मस्कट में वकीलों की एक टीम भी नियुक्त की है। सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बुक मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई हजारों करोड़ रुपये के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं। हाल ही में इंटरपोल को Commission for the Control

of INTERPOL's Files ने चंद्राकर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी रेड नोटिस हटाने की मांग की थी। चंद्राकर का दावा था कि भारत में उनके खिलाफ मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, लेकिन छद्म ने कहा कि मामला वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है न कि राजनीतिक उन्पीड़न से इसलिए रेड नोटिस जारी रहेगा।

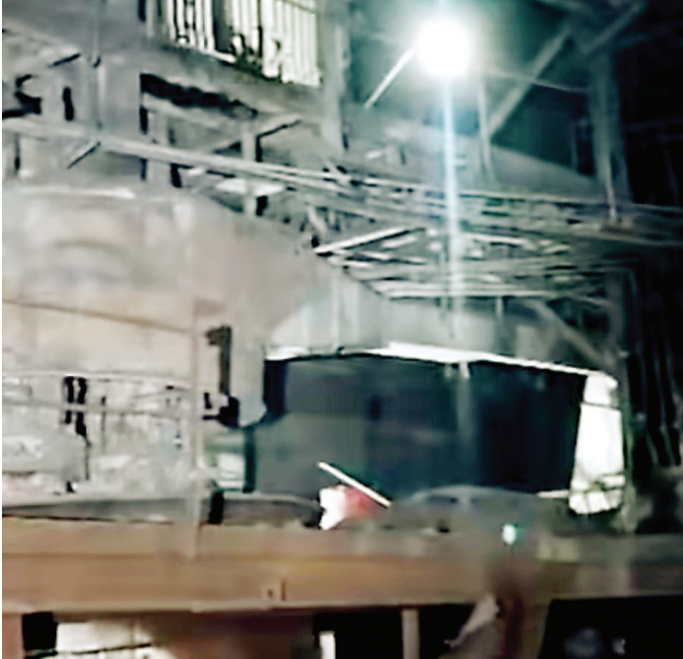
श्री डी फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट

मृतकों के परिवार को मिलेगा 30-30 लाख का मुआवजा

सीएम साय ने कहा- बंद की गई है फैक्ट्री

रायपुर, 8 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला स्थित श्री डी फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मृतकों के परिवार को कारखाना प्रबंधन ने आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा कर दी है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उरला स्थित श्री डी फैक्ट्री में फेरो अलॉय बनाने का काम होता था। मंगलवार की शाम 6 बजे ब्लास्ट की घटना हुई। फेरो एलॉयज डिवीजन में संचालित फर्नेस में लानिंग करने के दौरान ऑक्सीजन सिलिंडर में अचानक भीषण विस्फोट होने के कारण दुर्घटना घटित हुई। फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना को लेकर मुख्यमंत्री साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगे भी उद्योगों में सुरक्षा पर कड़ाई से काम किया जाएगा। उद्योग मंत्री लखन



लाल देवांगन ने घटना को लेकर कहा कि उरला के श्री डी फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना बेहद दुखद है। फैक्ट्री को तत्काल बंद कर दिया गया है। साथ ही घटना की जांच के आदेश भी दिए

गए हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों 30-30 लाख मुआवजे का प्रावधान किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी।

शोपियां में 5 दिनों से जारी महा-ऑपरेशन में लश्कर कमांडर जाकिर गनी ढेर

नई दिल्ली, 8 जुलाई (न्यूज चैनल)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी पर एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले पांच दिनों से दक्षिण कश्मीर के मीमंदर और सैदापोरा इलाके के घने बागों में चल रहे एक बड़े आतंकवाद-विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए इस आतंकी की पहचान जाकिर गनी के रूप में हुई है, जो सुरक्षा बलों की मोस्ट वॉन्टेड हिट-लिस्ट में ए प्लस कैटेगरी



का कमांडर था। सेना की राष्ट्रीय राइफल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का यह संयुक्त अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि इलाके में एक और खूंखार आतंकी लतीफ के छिपे होने की प्रबल आशंका है। सुरक्षा बलों की खुफिया सूत्रों से शोपियां के सैदापोरा

और मीमंदर गांवों के बीच फैले एक विशाल और घने बाग वाले इलाके में दो भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टा जानकारी मिली थी। सर्विलांस कैमरो में भी इन दोनों आतंकियों की संदिग्ध हरकतें कैद हुई थीं। इसके तुरंत बाद, 3 जुलाई को सुरक्षा बलों ने सात गांवों तक फैले इस पूरे बाग की कड़े घेराबंदी कर दी थी। बुधवार (8 जुलाई) को ऑपरेशन के पांचवें दिन, मुठभेड़ स्थल से अचानक दोबारा भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की।



रायपुर, 8 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट और शासकीय कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग (जोएडी) ने 07 जुलाई 2026 को राज्य प्रशासनिक सेवा सॉजी एसएसएस के 19 अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया है। इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के तहत प्रदेश के कई जिला पंचायतों के सीईओ, नगर निगम आयुक्तों और मंत्रालयीन विभागों में अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गई है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रशासन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश: सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव द्वारा जारी इस आदेश में सभी 19 अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रशासनिक आधार पर किए गए इस तबादले के बाद, नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही, कार्यभार ग्रहण करने का पालन प्रतिवेदन विभाग को सौंपना अनिवार्य किया गया है।

आज शाम मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक, नकटी विवाद पर भी मंथन!



रायपुर, 8 जुलाई (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शाम 4:00 बजे नया रायपुर के अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक बेहद आपात और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मैदानी सूत्रों ने बताया कि 13 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले ही रही इस बैठक में सरकार कुछ ऐसे कड़े फैसले ले

सकती है, जिससे विपक्ष उन्हें ना घेर पाए। नकटी गांव में हुई हालिया बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर-पार की जंग छिड़ी हुई है। कल ही कांग्रेस ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट जारी करने और 10 जुलाई को राजभवन जाने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक, साय सरकार इस विवाद को शांत करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को

लेकर आज कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, ताकि मानसून सत्र में विपक्ष के पास घेरने का मौका न रहे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति में भारी हलचल है। सत्र को लेकर चल रही तैयारियों के बीच कुछ बड़े आंकड़े और मुद्दे सामने आए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट 11 जुलाई से, माना शूटिंग रेंज में प्रदेश के निशानेबाज साधेंगे निशाना

रायपुर, 8 जुलाई (हाईवे चैनल)। 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की ओर से 11 जुलाई से माना कैंप शूटिंग रेंज में होगा। राज्य शूटिंग मीट में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर राइफल एवं पिस्टल स्पर्धायें आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रदेशभर के निशानेबाज विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह प्रतियोगिता पहले 8 जुलाई से प्रस्तावित थी, लेकिन क्षेत्र में भारी वर्षा और मौजूदा मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित करते हुए नई तारीख तय की गई है, जिससे सभी प्रतिभागियों और अधिकारियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित की जा सके। प्रतिभागी निशानेबाजों के लिए 12 जुलाई के लिए 12 जुलाई को एक प्रशिक्षण एवं अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र के तुरंत बाद प्रतियोगिता मैच शुरू होंगे।



अधिकारियों की नई पदस्थापना सूची

इन्द्रजीत बर्मन- अपर संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं, नवा रायपुर। राजीव कुमार पाण्डेय- अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर। भारती चन्द्राकर- अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मार्कफेड, नवा रायपुर। दिनेश कुमार नाग- महाप्रबंधक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कांर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर। नयनतारा सिंह तोमर- अपर संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर। गोकूल राम रावटे- मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), जिला पंचायत मुंगेली। आशुतोष चतुर्वेदी- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर रामानुजंगंज। अभिषेक कुमार गुप्ता- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। प्रभाकर पाण्डेय- संयुक्त संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर। शशांक पाण्डेय- अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कांर्पोरेशन लिमिटेड एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीएचआईपीएस का अतिरिक्त प्रभार। अरुण कुमार वर्मा- आयुक्त, नगर पालिक निगम, धमतरी। ऋषिकेश तिवारी- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़। विनय कुमार पोथामा- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा। प्रिया गोयल- अपर आयुक्त, कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, नवा रायपुर। योगेन्द्र श्रीवास- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया। अतुल विश्वकर्मा- संयुक्त आयुक्त, कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, नवा रायपुर। रामप्रसाद आंचला- प्रवर श्रेणी, कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम। जी.आर. मरकाय- आयुक्त, नगर पालिक निगम राजनांदगांव। विजयेंद्र सिंह- आयुक्त, नगर पालिक निगम चिरमिरी।

अपर कलेक्टर अरुण वर्मा होंगे धमतरी निगम कमिशनर जयंत नाहटा बने नये जिला पंचायत सीईओ

धमतरी, 8 जुलाई (हाईवे चैनल)। छग शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 7 जुलाई को वृहद तबादला आदेश जारी किया गया। जिससे धमतरी जिला भी प्रभावित हुआ है। बता दें कि धमतरी नगर निगम कमिशनर प्रिया गोयल का अपर आयुक्त, कार्यालय भू अभिलेख नवा रायपुर अटल नगर के पद पर व जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र ठाकुर का उपसचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग के पद पर तबादला हुआ है। उनके स्थान पर अब अपर कलेक्टर बस्तर अरुण वर्मा धमतरी निगम कमिशनर होंगे व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा जयंत नाहटा अब धमतरी जिला पंचायत सीईओ होंगे।

बारुईपुर में दुष्कर्म-हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

नई दिल्ली, 8 जुलाई (न्यूज चैनल)। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बीती रात पुलिस एनकाउंटर (मुठभेड़) में मामले का एक मुख्य संदिग्ध मारा गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच टीम आरोपी को घटना से जुड़े सबूतों की तलाश के लिए बारुईपुर के एक सुनसान इलाके में ले गई थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। इस भयानक घटना को लेकर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है और क्षेत्र में तनावपूर्ण

स्थिति बनी हुई है। इसी बीच, मामले के मुख्य आरोपियों में से एक को पुलिस ने बीती रात एक मुठभेड़ (एनकाउंटर) में ढेर कर दिया है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं। मामले के मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बारुईपुर दुष्कर्म-हत्या का आरोपी प्रभाष मंडल एनकाउंटर में मारा गया। पश्चिम बंगाल पुलिस में क्या हो रहा है? बंगालियों, उत्तर प्रदेश 2.0 में आपका स्वागत है। भाजपा की सरकार नहीं है।

छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बिलासपुर, 8 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से इनकार कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि, कुछ उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि, उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने अब उन 129 संदिग्ध उम्मीदवारों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं, जिनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। बता दें कि बिलासपुर

129 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच कराने के निर्देश

निवासी याचिकाकर्ता विवेक दुबे, मनोहर पटेल, मृत्युंजय श्रीवास और अश्वनी कुमार ने बिलासपुर केंद्र में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि, लंबी कूद, गोला फेंक और दौड़ में हेर-फेर की गई है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि गड़बड़ी करने वालों को अलग किया जा सकता है, तो निर्दोष



उम्मीदवारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना मनमाना और अनुचित होगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने माना कि यह मामला बड़े पैमाने पर सुनियोजित भ्रष्टाचार का नहीं है। विभाग ने खुद गड़बड़ी मिलने पर जांच की है, इसलिए सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसपी द्वारा चिन्हित 129 संदिग्धों और पत्र में उल्लिखित उम्मीदवारों की विस्तृत जांच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराई जाए। यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद उनकी नियुक्ति रद्द की जाए।

शिक्षाकर्म भर्ती घोटाला : हाईकोर्ट से 7 आरोपियों को मिली सशर्त अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्म ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े 18 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने कहा कि इसी मामले में समान आरोपों वाले अन्य सह-आरोपियों को पहले ही गृहमिंत चुकी है, इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी जमानत का लाभ दिया जाना उचित है। कोर्ट ने सात अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। दरअसल, वर्ष 2007 में जनपद पंचायत मारगलोड में शिक्षाकर्म वर्ग-3 के 172 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी। आरोप है कि चयन समिति के सदस्यों और अन्य आरोपियों ने साजिश के तहत कुछ

अभ्यर्थियों के फर्जी या अमान्य दस्तावेजों के आधार पर अंक बढ़ाकर उन्हें चयनित करा दिया, इसके चलते पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली और वे बाहर हो गए। इस संबंध में वर्ष 2011 में पुलिस थाना मारगलोड में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(9)(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत कई समितियों और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद हुई थी। करीब 5,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको अलग-अलग स्तर पर जांच के बाद अंतिम चयन सूची बनाई गई थी।